

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
पशुओं पर प्रयोगों संबंधी नियंत्रण और पर्यवेक्षण
के लिए समिति (सीसीएसईए)
दिल्ली दुग्ध योजना परिसर, शादीपुर,
नई दिल्ली ११०००८ -



Government of India
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and
Dairying
Department of Animal Husbandry and Dairying
Committee for Control and Supervision of
Experiments on Animals (CCSEA)
Delhi Milk Scheme Complex, Shadipur,
New Delhi - 110008

क्रमांक /No. V-11011(13)/13/2023-CPCSEA-DADF

दिनांक/ Dated: 05/01/2024

आदेश/ Order

विषय: सीसीएसईए के साथ अपंजीकृत प्रजनकों से बीगल नस्ल के श्वानों को क्रय करने के सम्बन्ध में।
Subject: Procurement of Beagle Dogs from breeders not registered with CCSEA- regarding.

अधोहस्ताक्षरी को देश में बीगल नस्ल के श्वानों को क्रय करने के संदर्भ में 28 दिसंबर, 2023 को आयोजित पशुओं पर प्रयोगों संबंधी नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए समिति (सीसीएसईए) की 117 वीं बैठक में समिति के निर्णय की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। समिति ने पाया है कि प्रयोगात्मक और प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए प्रजनन के लिए बीगल नस्ल के श्वानों को केनेल क्लब ऑफ इंडिया (केसीआई) के तहत पंजीकृत प्रजनकों जैसे अनधिकृत स्रोतों से क्रय किया जा रहा है। यह निर्णय लिया गया है कि सीसीएसईए के साथ पंजीकृत प्रजनकों के पास बीगल नस्ल के श्वानों की अनुपलब्धता के मामले में या जहां आयात संभव नहीं है, प्रतिष्ठान राज्य पशु कल्याण बोर्ड या राज्य पशुपालन विभाग द्वारा "पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (श्वान प्रजनन और विपणन) नियम, 2017" के तहत पंजीकृत प्रजनकों से श्वानों का क्रय कर सकते हैं।

The undersigned is directed to inform the decision of the Committee for Control and Supervision of Experiments on Animals (CCSEA) taken in its 117th meeting held on 28th December, 2023, with reference to the procurement of Beagle Dogs in the Country. The Committee has observed that Beagle Dogs, for experimental and breeding for experimental purposes, are being procured from unauthorized sources like breeders registered under the Kennel Club of India (KCI). It has been decided that in case of non availability of Beagle dogs from the Breeders registered with CCSEA or where import is not plausible, the establishments may procure dogs from Breeders registered by State Animal Welfare Board or by the State Animal Husbandry Department under the "Prevention of Cruelty to Animals (Dog Breeding and Marketing Rules) Rules, 2017".

सादर/ Yours Sincerely,

(डॉ. सुजीत कुमार दत्ता/ Dr. Sujit Kumar Dutta)
सदस्य सचिव (सीसीएसईए)/ Member Secretary (CCSEA)

सेवा में /To,

सीसीएसईए के साथ पंजीकृत सभी संस्थान / All the establishments registered with CCSEA.

प्रतिलिपि / Copy to:

सीसीएसईए के सभी नामिती / All the Nominees of CCSEA.